वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक एफ0नं0– 11–268/2014 एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 की बिन्दुवार आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि–

1. **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** द्वारा वन प्रभाग फर्रूखाबाद के अन्तर्गत फर्रूखाबाद – फतेहगढ़ – गुरसहायगंज रोड (एस.एच–29ए) किमी0 नं0 9 (चैनेज 8.150 से 8.186), बायी पटरी पर खसरा नं0–634मि , ग्राम– भुलनपुर चिरपुरा ,परगना–भोजपुर, तहसील–सदर , जनपद – फर्रूखाबाद **(उत्तर प्रदेश)** में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए प्रेषित प्रस्ताव में प्रभावित होने वाली 0.076964 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु रिटेल आउटलेट के प्रवेश एवं निकासी मार्ग के मध्य से बफर स्ट्रिप की दूरी 19.36 मी0 है तथा सम्पर्क मार्गो तथा सेपरेटर आईलेण्ड का क्षेत्रफल 0.076964 हे0 है जो प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, फर्रूखाबाद के द्वारा अनुमोदित है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एवं हाईवे के द्वारा दी गयी गाइडलाइन्स के अनुरूप है तथा यह मार्ग, लोक निर्माण विभाग, फर्रूखाबाद के अधीन है।

2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट **हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0** द्वारा वन प्रभाग फर्रूखाबाद के अन्तर्गत फर्रूखाबाद – फतेहगढ़ – गुरसहायगंज रोड (एस.एच–29ए) किमी0 नं0 9 (चैनेज 8.150 से 8.186), बायी पटरी पर खसरा नं0–634मि , ग्राम– भुलनपुर चिरपुरा ,परगना–भोजपुर, तहसील–सदर , जनपद – फर्रूखाबाद **(उत्तर प्रदेश)** में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल पर कोई वृक्षों का पातन नही किया गया है।

3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर पार्किंग, शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें रेस्टोरेन्ट, दुकान आदि का प्राविधान नहीं किया गया है।

4. मार्ग का निर्माण या चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रकिया में है।

5. साइन बोर्ड स्थापित करते समय पटरी वृक्षारोपण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

6. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प की दीवार से 1 से 1.5 मी0 के मध्य वृक्षारोपण किया जायेगा।

7. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के पश्चात हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 द्वारा (CAMPA) मद में जमा की गयी धनराशि से प्रतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।

प्रभागीय निदेशक
वन प्रभाग फर्रूखाबाद

राकेश गुप्ता
उप महाप्रबन्धक – रिटेल
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0
क्षेत्रीय कार्यालय आगरा

RAKESH GUPTA
Dy. General Manager-Retail
and Duly Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)